रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1308] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2006/कार्तिक 9, 1928
No. 1308] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2006/KARTIKA 9, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1871(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार ने, नैनी दमण और मोटी दमण को जोड़ने वाले दमण गंगा पुल के दिनांक 28 अगस्त, 2003 को टूट जाने के सार्वजनिक महत्व के मामले की जाँच करने के लिए मुम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आर. जे. कोचर की अध्यक्षता में दिनांक 29 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 870(अ), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, के माध्यम से एक जाँच आयोग, जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है, गठित किया था ।

यत:, केन्द्रीय सरकार ने, आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2006 तक प्रस्तुत करने का निदेश दिया था और आयोग ने उल्लिखित अधिसूचना के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट 16 अक्तूबर, 2006 को प्रस्तुत कर दी है ।

और, यत:, केन्द्रीय सरकार का, यह अभिमत है कि इस आयोग की विद्यमानता को जारी रखना अनावश्यक है ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क), जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, यह घोषणा करती है कि दिनांक 31 अक्तूबर, 2006 से उक्त आयोग की विद्यमानता समाप्त हो जाएगी ।

[फा. सं. यू-13034/66/2003-जी.पी.]

के. एस. सुगतन, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2006

S.O. 1871(E).—Whereas, the Central Government *vide* notification No. S.O. 870(E), dated 29th July, 2004, hereinafter referred to as said notification appointed a Commission of Inquiry consisting of Mr. Justice R. J. Kochar, a Retired Judge of High Court, Bombay, hereinafter referred to as the Commission for making inquiry into a matter of public importance, namely, collapse of Damanganga Bridge, linking Nani Daman and Moti Daman on 28th August, 2003.

Whereas, the Central Government directed the Commission for submission of the report of the Commission by 31st October, 2006 and the Commission in pursuance of the said notification referred above submitted its report on 16th October, 2006.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that the continued existence of the Commission is unnecessary.

Now, therefore, in exercise of the powers under clause (a) of Sub-section (1) of Section 7 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) the Central Government hereby declares that the Commission shall cease to exist with effect from 31st October, 2006.

[F. No. U-13034/66/2003-GP]

K. S. SUGATHAN, Addl. Secy.

3472 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.